तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 13/2023 मुराद वगैरह बनाम हकीम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

आदेश

दिनांक 21.03.2025

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता, श्री पन्नाराम जांगिड़।
2. विप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता, श्री संजय सोनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा श्रीमानजी के समक्ष उपरोक्त उनवान की अपील पेश की गई थी जो दिनांक 03.12.2018 को न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत थी जिस अपील को पुनः बरामद करने हेतु आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत आवेदन पेश किया गया था जिस पर अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से अच्छी तरह से पैरवी करने हेतु आश्वासन दिया था। जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता पर विश्वास कर लिया परन्तु अधिवक्ता द्वारा सही ढंग से पैरवी नहीं की गई। जिस कारण उक्त आवेदन पर ही दिनांक 02.11.2021 अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। तारीख पेशी पर अपीलांट के अधिवक्ता श्रीमान सहायक कलक्टर, चौहटन में एक अति आवश्यक प्रकरण में व्यस्त होने के कारण श्रीमान न्यायालय में समय पर हाजिर नहीं हो सकें। अपीलांटगण ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने से पेशी तारीख की जानकारी न होने से उपस्थित नहीं हो सके थे। उक्त प्रकरण का न्यायिक रूप से गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारों के मध्य विवाद शांत हो एवं दोनों पक्ष न्यायालय के अंतिम निस्तारण अर्थात न्याय से संतुष्ट हो सके जिसकी पूर्ति हेतु भी उक्त अपील को पुनः बरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिवक्ता की गलती या भूल की सजा निर्दोष पक्षकारों को नहीं दी जा सकती है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करने का उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

विप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपने प्रकरण का निस्तारण करने हेतु पैरवी में रूचि नहीं रखते हैं। प्रकरण के खारिज होने के पश्चात एक नया आवेदन पेश करते हैं। प्रार्थी की मंशा कतई न्यायिक नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को जानकारी होने के बावजूद प्रकरण को श्रीमान न्यायालय के समक्ष विलंब से पेश किया गया। विलंब के एक एक दिन का हिसाब न्यायालय को नहीं बताया गया। अतः हस्तगत आवेदन मियाद बाहर होने तथा सारहीन होने से खारिज फरमाया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील संख्या 30/2017 को दिनांक 03.12.2018 को खारिज किया गया। उक्त अपील को पुनः बरामद करने हेतु आवेदन संख्या 44/2019 पेश किया गया जो दिनांक 02.11.2021 को अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में विप्रार्थीगण के नाम सम्मन भिजवाने हेतु रजिस्टर्ड डाक लिफाफे पेश नहीं करने की वजह से प्रकरण को अदम पालना में खारिज किया गया। उपरोक्त तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पैरवी में उदासीनता बरत रहा है। अदम पालना में आवेदन खारिज होने के कारण प्रकरण को स्वीकार करना विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत आवेदन प्रार्थी द्वारा लगभग 01 वर्ष 08 माह बाद पेश किया गया। विलंब का कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। लिहाजा अपीलांट का आवेदन मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 21.03.2025 को सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर